न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बालेसर

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती कंचन राठौड़, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 19/2018

प्रार्थीगण

1. खीवसिंह पुत्र उदयसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम निम्बा का गांव तहसील बालेसर जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बालेसर जिला जोधपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम वास्ते रेकर्ड दुरस्ती

उपस्थित :–

1. प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित
2. अप्रार्थी राजकीय पैरोकार उपस्थित

–:: निर्णय ::–

दिनांक:– 27.06.2019

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का पेश किया था जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है:–

प्रार्थी की सामलाती खातेदारी की जमीन खेत खसरा नम्बर 1129 रकबा 36.04 बीघा, खसरा [illegible] 62 रकबा 9.00 बीघा, खसरा नम्बर 1141 रकबा 5.19 बीघा, खसरा नम्बर 1256 रकबा 0.09 बीघा, खसरा नम्बर 1257 रकबा 41.14 बीघा कुल 05 खसरे कुल रकबा 93.06 बीघा भूमि ग्राम घुडियाला, निम्बा का गांव, पटवार क्षेत्र निम्बा का गांव तहसील बालेसर जिला जोधपुर में स्थित है। उक्त खसरे की जमाबन्दी में सेवन से प्रार्थी का नाम नरपतसिंह दर्ज किया है जो गलत है। प्रार्थी का सही नाम खीवसिंह है। हाल ही में प्रार्थी ने दिनांक 09.01.2019 व दिनांक 16.01.2019 को पटवारी से जमाबन्दी की नकल ली तो प्रार्थी का जानकारी हुई कि प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज है। प्रार्थी का नाम जमाबन्दी में नरपतसिंह दर्ज है जो बतौर खातेदार चला आ रहा है। प्रार्थी द्वारा नाम शुद्ध करवाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किए जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी की [illegible] जवाब प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है :–हल्का पटवारी द्वारा [illegible] का अवलोकन किया जिसके अनुसार ग्राम निम्बो का गांव के नामान्तरकरण संख्या 162 के [illegible] उदयसिंह फौत होने पर उनके वारिसान लखसिंह, खिवसिंह पि. उदयसिंह दर्ज किया [illegible] जमाबन्दी सम्वत् 2031 से 2034 के खाता संख्या 205 में सही नाम दर्ज है [illegible] बाद अगली जमाबन्दी में लिपिकिय भूल से खिवसिंह पि. उदयसिंह जगह नरपतसिंह पि. [illegible] गलत दर्ज हो गया। हल्का पटवारी एवं तहसीलदार बालेसर द्वारा नरपतसिंह पुत्र उदयसिंह की जगह सही नाम खीवसिंह पुत्र उदयसिंह शुद्ध करना प्रस्तावित किया गया है।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
बालेसर

Scanned by CamScanner

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस की गई। बहस सूनी गई। बहस के दौरान प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा साक्ष्य शपथ–पत्र प्रस्तुत किये गये। हमने पत्रावली का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। त्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी, अप्रार्थीगण के जवाब के आधार पर प्रार्थना पत्र के तथ्य सिद्व करने प्रार्थी अधिवक्ता सफल रहे है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम घुडियाला एवं निम्बा का गांव पटवार क्षेत्र निम्बा का गांव तहसील बालेसर जिला जोधपुर में स्थित खेत खसरा नम्बर 129 रकबा 36.04 बीघा, खसरा नम्बर 62 रकबा 9.00 बीघा, खसरा नम्बर 1141 रकबा 5.19 बीघा, खसरा नम्बर 1256 रकबा 0.09 बीघा, खसरा नम्बर 1257 रकबा 41.14 बीघा कुल 05 खसरे कुल रकबा 93.06 बीघा भूमि में नरपतसिंह पुत्र उदयसिंह के स्थान पर खीवसिंह पुत्र उदयसिंह नाम शुद्व किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष खाता बदस्तुर रहेगे। आदेश की प्रति तहसीलदार बालेसर को प्रेषित होकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। खर्चा पक्षकारन अपना–अपना वहन करे।

फैसला आज दिनांक 10.06.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।

(कंचन राठौड)
पीठासीन अधिकारी
एवं उपखण्ड अधिकारी, बालेसर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर

Scanned by CamScanner